

RCM 7/23043942
कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

कृपया 14 फॉर्म भरें

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 120)

आदेश पत्रक-सं.

से

सं.

तारीख

जिला

लातेहार

सी

106

केस का प्रकार :- पैयती भूमि का R5 में जमानदी अदातन हेतु।

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में दिपानी तारीख सहित

3

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

6.12.22

आवेदक/आवेदिनी

पिता/पति श्री. राजेश कुमार पत्नी श्री. सुमित्रा देवी धाना, दल, खानपुरी, जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अदातन कर लगाने हेतु निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता नया/पुराना

फ्लॉट

रकबा

खरडीह
09

62/6

1253-
1247-
1158-
1125-

0.04
0.05
0.05
0.47
207

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक 23.12.22 को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

23.12.21

अभिलेख उपस्थापित। आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उप निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री खरडीह पिता/पति श्री. राजेश कुमार पत्नी श्री. सुमित्रा देवी धाना, दल, खानपुरी, जिला लातेहार के द्वारा C.S. से R.S. पंजी II को अदातन कर लगाने हेतु निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

C.S. के अनुसार -

मौला का नाम/स्थाना सं०	खाता	लीट	रकबा
पतखीह	६	६६६ -	०.०४ ३
७७		६७१ -	०.०३ ४
		६२६ -	०.०३ ४
		६१७ -	०.१८ १
		जवेदान्त	२२४५

मौजिा का नाम/धाना सं०	खाता	प्लॉट	एकवा	टोलर टगवा
अपरेश्वरी	62	1253-	0.04	1117-0.20
09		1247-	0.09	1162-0.16
		1198-	0.09	1166-0.28
		1125-	0.47	1122-0.35
		1179-	0.14	1119-0.18
		1254-	0.05	80-207.3

उक्त भूमि का जमाबंदी स्तर भू-पंजी में पिता की रजिस्ट्रार भाग में लिखा कि...
के नाम से C.D. गांग पंजी में चल रहा था। भूमि सैयती खाते की है एवं आवेदक
का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल
पदाधिकारी / पलायन / लातेहार । के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० १०२/५५५/...../१९८६ द्वारा
स्वीकृति दी गई थी। तदनुरार आवेदक / आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद
निर्गत किया जा रहा था। वर्ष १९७२ तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद / खतियान
की छायाप्रति एवं अगीन द्वारा ट्रेस किए गए नये / पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न
है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खासिज वाद संख्या 245/1988-86 के आधार पर पूर्व में कायम जगाबंदी जिसका लगान वर्ष 1988-89 तक वसूल है का, सरकार के सचित राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा खंड रांची के पत्रांक 1704 दिनांक 15.07.2020 के अनुपालन में, लगान रसीद निर्गत करने हेतु चालू पंजी-11 में दर्ज जगाबंदी को अद्यतन करने की दी जाती है। उक्त आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय के स्वतंत्र संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आवेश का संवर्णन तीन प्रति में हस्ताक्षरित।

आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपाल प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक पक्ष के अन्दर समर्पित करें।

लेखापित एतं राशोधित ।

संमलअधिकारी,
नरवालीह ।

अंचल अधिकारी,
बरेली।

2004/23043959
कार्यालय अंचल अधिकारी बरवाडीह, (जिला- लातेहार)

अनुसूचि 14 फारम 6021

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-सं०..... से..... तक

जिला- लातेहार सं० 104 सन् 2022-23

केस का प्रकार :- रैयती भूमि का RS में जमाबंदी अद्यतन हेतु।

आदेश पर की ग
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख
सहित
3

आदेश की क्रम
सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

6.12.22

आवेदक/आवेदिका..... पुरम प्रसाद सिंह धाना.....
पिता/पति..... साकिन.....
.....जिला लातेहार के द्वारा C.S. सं R.S. पेजी 11 को अद्यतन कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु
अनुरोध किया है। जो निम्न है:-

मौजा

खाता
नया/पुराना

प्लॉट

रकबा

पोरवरी कुला
10

425/72

868/311 - 0.07

862/337 - 0.27

812/344 - 0.284

2705/715 - 0.064

2706/715 - 0.10

2712/715 - 0.284

2710/715 - 0.13

राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करे एवं आम इस्तेहार निर्गत करें। दिनांक.....को अभिलेख उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अभिलेख उपस्थापित । आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। किसी के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त । राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्री पुरम प्रसाद सिंह पिता/पति..... साकिन..... में दाखिल खारिज वाद संख्या 245/85 के द्वारा रकबा 15.89 ए० भूमि प्राप्त किये है। जिसका C.S. तथा R.S. का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:-

क अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पौरवरी १०१/

१०

खाता

२१

प्लॉट

१५११

रकबा

०.०३

१५३४

०.३४

१५५५

०.३४

१५१५

०.१३

१५१५

०.०६

१५१५

५.६४

प्लॉट

रकबा

१५६८

०.०३

१५६२

०.२३

१५१२

०.२३

१५०५

०.०६

१५०६

०.१०

१५१२

०.२३

१५१२

०.१४

साकिन १२५/६५

R.S. के अनुसार -

मौजा का नाम/थाना सं०

पौरवरी १०१/

१०

खाता

४२५

प्लॉट

१५६८

०.०३

१५६२

०.२३

१५१२

०.२३

१५०५

०.०६

१५०६

०.१०

१५१२

०.२३

१५१२

०.१४

उक्त भूमि का जमाबंदी के नाम से C.S. मांग पंजी ॥ में चल रहा था। भूमि रैयती खाते की है एवं आवेदक शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। उक्त भूमि पर आवेदक के नाम से पूर्व में अंचल अधिकारी, प्रलामू/लातेहार। के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० १२५/६५/१९८५ द्वारा प्रकृति दी गई थी। तदनुसार आवेदक/आवेदिका के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद गत किया जा रहा था। वर्ष २०११-१२ तक लगान रसीद निर्गत है। लगान रसीद/खतियान छायाप्रति एवं अमीन द्वारा ट्रेस किए गए नये/पुराने खाता प्लॉट का सत्यापित नक्शा संलग्न

अतः राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के स्पष्ट अनुशंसा एवं दाखिल खारिज संख्या १५५/१९८५-८६ के आधार पर पूर्व में कायम जमाबंदी जिसका लगान १०११-१२ तक वसूल है का, सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग खंड संची के पत्रांक १७०४ दिनांक १५.०७.२०२० के अनुपालन में लगान रसीद निर्गत करने हेतु पंजी-॥ में दर्ज जमाबंदी को अद्यतन करने की दी जाती है। उक्त आदेश तीन-तीन सक्षम न्यायालय के स्वत्व संबंधित पारित आदेश से प्रभावित होगी।

तदनुसार आदेश का उदघरण तीन प्रति में हस्ताक्षरित।
आदेश की दो प्रति राजस्व उप निरीक्षक को अनुपालन हेतु दें तथा अनुपालन के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रक्ष के अन्दर समर्पित करें।

संयोजित एवं संशोधित।

अधिकारी

है।

R.R.

२९.१२.२०

अंचल अधिकारी,
बरवाडीह।

अधोहस्ताक्षरी
२९/१२/२०